Thirty Paise

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राजमहल।
राजस्व विविध वाद सं0– 02/2015–16
सद्दाम हुसैन
बनाम
हसरूद्दीन शेख
आदेश

03.06.2017

अभिलेख उपस्थापित। यह राजस्व विविध वाद आवेदक सद्दाम हुसैन, पिता– नाजीर हुसैन, सा0– कटहलबाड़ी, थाना– राधानगर, जिला– साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, उधवा के रेभेन्यू मिस केस नं0 02/2014–15 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। जिसे स्वीकृत कर वाद की कार्यवाही दिनांक 21.03.2016 को प्रारम्भ की गई है।

यह राजस्व विविध वाद में प्रश्नगत भूमि मौजा कटहलबाड़ी जमाबंदी नं0 107 दाग नं0 236 रकवा 03 कट्ठा जमीन है।

आज विपक्षी की ओर से वकालतन हाजरी है। आवेदक अनुपस्थित। फलस्वरूप विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि हसरूद्दीन शेख पिता मृत सेहरली शेख सा0 कटहलबाडी थाना राधानगर गरीब एवं भूमिहीन व्यक्ति है। इनके पिता को बन्दोबस्ती वाद सं0 01/1981–82 के द्वारा मौजा कटहलबाडी खाता नं0 107 दाग नं0 236 में 03 कट्ठा जमीन बन्दोबस्त मिला है। जिसमें विपक्षी का आवासीय मकान अवस्थित है एवं अपने बाल–बच्चों के साथ शांतिपूर्ण भोग–दखल में निवास करते आ रहे है। वर्ष 1981 में ही प्रश्नगत जमीन का बासगीत पर्चा प्राप्त हो चुका है। जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, राजमहल ने BPPHT Act के तहत् प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी धार्य कर 0.19 पैसा वार्षिक लगान निर्धारित किये है। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, उधवा ने प्रश्नगत भूमि का लगान रसीद सेहरली शेख के नाम से निर्गत करने का आदेश पारित किये है।

अतः विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने अंचल अधिकारी, उधवा के रेभेन्यू मिस केस नं0 02/2014–15 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए आवेदक सद्दाम हुसैन के द्वारा दायर राजस्व विविध वाद आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किये है।

बाद में आवेदक ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित बहस दाखिल किये हैं। उन्होंने अपने लिखित बहस के माध्यम से सूचित किया है कि मौजा कटहलबाड़ी के जमाबंदी नं0 107 दाग नं0 236 रकवा 09 कट्ठा जमीन अपीलार्थी के दादा स्व0 शेर मोहम्मद शेख, पिता– स्व0 हसीबुल्ला शेख ने खतियानी रैयत के वंशज हाकीम शेख एवं मोकिम शेख से अनिबंधित केवाला के द्वारा खरीद कर प्राप्त किये हैं एवं अपने नाम से नामांतरण कराके अद्यतन लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। पुनः उक्त जमाबंदी एवं दाग नं0 के रकवा 07 कट्ठा 06 धूर जमीन आवेदक ने स्वंय खतियानी रैयत के वंशज रेशमन बेवा, मोहिउद्दीन शेख, गुलामुद्दीन शेख, हाजी रहमत अली एवं रंगीला बेवा से क्रय कर प्राप्त किये है तथा अपने नाम से दाखिल–खारिज कराकर प्रत्येक वर्ष लगान रसीद प्राप्त कर रहे हैं। अंचल अधिकारी, उधवा ने पक्षों को सुनवाई किये बिना ही उत्तरवादी हसरूद्दीन शेख, पिता– मृत सेहराल्ली शेख के नाम से मौजा कटहलबाड़ी के जमाबंदी नं0

जमाबंदी नं0 107, दाग नं0 236, रकवा 03 कट्ठा जमीन का लगान रसीद निर्गत करने का आदेश पारित किये है। उन्होंने यह भी अंकित किये है कि उत्तरवादी को उक्त प्रश्नगत 03 कट्ठा भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिकार स्वत्व या दखल नहीं है। उत्तरवादी ने गलत बताया है कि अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा बिहार प्रिमिलेज पर्सन्स होम टेनेन्सी (BPPHT) एक्ट के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उत्तरवादी ने प्रश्नगत भूमि का दाखिल–खारिज कराने हेतु अंचल अधिकारी, राजमहल के समक्ष नामांतरण वाद सं0 05/1981–82 दाखिल किये हैं, लेकिन आवेदक के दादा स्व0 शेर मोहम्मद ने उक्त नामांतरण वाद में आपत्ति आवेदन दाखिल किये एवं पक्षों को सुनवाई के उपरांत अंचल अधिकारी ने वर्ष 1981–82 से ही लगान रसीद निर्गत करने पर रोक लगाये हैं। उन्होंने आगे लिखा कि उत्तरवादी ने अपने मूल आवेदन में स्पष्ट लिखा है कि बंदोबस्ती वाद सं0 01/1981–82 के द्वारा प्रश्नगत जमीन प्राप्त हुआ है। जबकि अंचल अधिकारी, उधवा ने बंदोबस्ती वाद सं0 05/1981–82 का हवाला देकर दिनांक 21.10.2014 को आदेश पारित किये हैं। इस प्रकार आवेदक के आवेदन एवं अंचल अधिकारी, उधवा के आदेश में भिन्नता है। विपक्षी का कहना है कि आवेदक के पिता ने छल से मेरा जमीन अपने नाम करवा लिया है। इसका म्यूटेशन न किया जाय एवं लगान रसीद भी निर्गत न किया जाय।

अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अंचल अधिकारी, उधवा के रेभेन्यू मिस वाद सं0 02/2014–15 में दिनांक 21.10.2014 को पारित आदेश को निरस्त करने एवं लगान रसीद निर्गत करने पर रोक लगाने का अनुरोध किये हैं।

हल्का कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये है कि मौजा कटहलबाड़ी थाना नं0 237 खाता सं0 107 खेसरा नं0 236 रकवा 16 कट्ठा 19 धूर जमीन खतियान में हुसैनी शेख पिता आमरदी शेख सा0 निजग्राम के नाम से कहकर दर्ज है। उक्त जमीन में से अंश रकवा 03 कट्ठा जमीन का बासगीत पर्चा BPPHT Act के तहत् केश नं0 05/1981–82 द्वारा सेहरली शेख पिता सर्जोदी शेख सा0 कटहलबाडी को अंचल कार्यालय, राजमहल द्वारा दिया गया है। इस जमीन का नामांतरण (दाखिल–खारिज) नामांतरण वाद सं0 05/1981–82 दिनांक 01.10.1981 द्वारा होने के पश्चात सेहरली शेख पिता सर्जोदी शेख सा0 कटहलबाडी के नाम से पंजी II में जमाबंदी नं0 107 खेसरा सं0 236 रकवा 03 कट्ठा जमीन वर्ष 1981–82 से पंजी II पेज Vol II में दर्ज है। पुनः इस जमीन का नामांतरण करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 1981–82 के बाद उस जमीन का लगान रसीद निर्गत नहीं किया गया है। उस जमीन पर वर्तमान में आवेदक का दखल कब्जा है। इतनी लम्बी अवधि से लगान रसीद निर्गत नहीं होने का उचित कारण जानकर पुनः लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया जा सकता है।

इसी जमीन से संबंधित सद्दाम हुसैन पिता नाजीर हुसैन सा0 कटहलबाडी के आवेदन पत्र का अवलोकन किया जा सकता है। चूंकि जमीन का दाखिल खारिज वर्ष 1981–82 में ही हो चुका है। अतः इनके आवेदन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। पुनः इनके द्वारा दायर आवेदन पत्र में सेहरली शेख के नाम से लगान रसीद निर्गत नहीं करने का आवेदन युक्ति संगत नहीं लगता है। कारण कि सेहरली शेख के नाम से जमाबंदी कायम है। जिनसे लगान राजस्व वृद्धि हित में लिया जा सकता है। अतः जमाबंदी को अवैध घोषित करने हेतु प्रार्थना किया गया है।

आवेदक के पिता सेहरली शेख के नाम से अंचल कार्यालय, राजमहल द्वारा बासगीत पर्चा BPPHT Act के तहत् बासगीत पर्चा केस सं0 05/1981–82 द्वारा मौजा कटहलबाडी के खाता सं0 107 खेसरा सं0 236 रकवा 03 कट्ठा जमीन, लगान 19 पैसे वार्षिक का बासगीत पर्चा निर्गत है, जिसका जमाबंदी धार्य है।

अतः जिस जमीन पर जमाबंदी पहले से ही धार्य है उसका लगान रसीद रोकने हेतु आदेश पारित करना मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है।

07/8/12

Scanned with CamScanner

अतः हल्का कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि मौजा कटहलबाडी थाना सं0 237 के जमाबंदी सं0 107 खेसरा सं0 236 रकवा 03 क्ढ्ढ जमीन का लगान रसीद सेहरली शेख के नाम से निर्गत करें।

आवेदक के मूल आवेदन एवं लिखित बहस के अवलोकन करने एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

1. प्रश्नगत जमीन मौजा कटहलबाड़ी जमाबंदी नं0 107 खेसरा नं0 236 रकवा 16 क्ढ्ढ 19 धूर जमीन खतियान में दुसैनी शेख पिता आमरदी शेख सा0 निजग्राम के नाम से दर्ज है। उक्त जमीन के अंश रकवा 03 क्ढ्ढ जमीन बासगीत पर्चा BPPHT Act के अंतर्गत वाद सं0 05/1981–82 के द्वारा सेहरली शेख पिता सजोरदी शेख सा0 कटहलबाड़ी को प्राप्त हुआ है एवं नामांतरण वाद सं0 05/1981–82 दिनांक 01.10. 1981 के द्वारा दाखिल खारिज कराकर पंजी II के पेज Vol II में दर्ज है।

उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संसोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
राजमहल

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
राजमहल।

Scanned with CamScanner